बाल श्रमिक

*417. **श्री कृपाल परमार :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में बाल श्रामिको की सर्वाधिक संख्या भारत में हैं.

(क) यदि हां, तो दस वर्ष से कम आयु, दस से चौदह वर्ष और चौदह से अठारह वर्ष के बीच की आयु के बाल श्रमिकों का ब्यौरा क्या हैं,

(ख) भिक्षावृत्ति, देह व्यापार, जेब कतरने और तस्करी आदि में शामिल तथा विधि के अंतर्गत परिगणित जोखिम वाले उघोगों में कार्यरत बच्चों का राज्यवार ब्यौरा क्या हैं, और

(ग) बधुआ बाल श्रमिकों की अनुमति संख्या कितनी है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 1991 की जनगणना आंकड़ो के अनुसार देश में कामकाजी बच्चों की संख्या 11.28 मिलियन है। एक देश के रूप में वास्तिविक संख्या के अर्थ में विश्व के सर्वधिक बाल श्रमिक भारत में हैं। किन्तु कुल श्रम बल में बाल श्रमिकों का अनुपात कई अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में कम है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न तालिका में दिए गए हैं।

(क) दस से चौदह वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों की संख्या संबंधी ब्यौरे नहीं रखे जाते है। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार, बालक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु के चौदह वर्ष पूर्ण नहीं किये हैं।

(ख) भिक्षावृत्ति, देह व्यापार, जेब कतरने और तस्करी आदि और खतरनाक उघोगों में लगे बच्चों से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 में बाल बंधुआ श्रमिक और वयस्क बंधुआ श्रमिक के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। अधिनियम में बंधुआ श्रमिकों के बीच लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भी कोई अंतर नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों द्वारा बधुआं बाल श्रमिकों की संख्या के बारे में पृथक आंकडे सूचित नहीं किए जाते।

तालिका

1991 की जनगणना के अनुसार कामकाजी बच्चों का राज्य-वार विवरण

1991

राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल श्रमिक
1. आन्ध्र प्रदेश	1,661,940
2. असम	327,598
3. बिहार	942,245
4. गुजरात	523,585
5. हरियाणा	109,691
6. हिमाचल प्रदेश	56,438
7. जम्मू और कश्मीर	**
8. कर्नाटक	976,247
9. केरल	34,800
10. मध्य प्रदेश	1,352,563
11.महाराष्ट्र	1,068,418
12. मणिपुर	16,493
13. मेघालय	34,633
14. नागालैण्ड	16,476
15. उड़ीसा	452,394
16.पंजाब	142,868
17. राजस्थान	774,199
18. सिक्किम	5,598
19. तमिलनाडु	578,889
20. त्रिपुरा	16,478
21. उत्तर प्रदेश	1,410,086
22. पश्चिम बंगाल	711,691
23. अण्डमान और निकोबार	1,265
24. अरूणाचल प्रदेश	12,395
25. चण्डीगढ़	1,870
26. दादरा और नागर हवेली	4,416

1	2	3
27.	दिल्ली	27,351
28.	दमन और द्वीव	941
29.	गोवा	4,656
30.	लक्ष्यद्वीप	34
31.	मिजोरम	16,411
32.	पांडिचेरी	2
	कुल	11,285,349

**जनगणना नहीं करवाई जा सकी।
टिप्पणी : 1991 के आंकड़े 5-14 वर्ष की आयु के श्रमिकों से संबंधित है।

Child Labour

†*417. SHRI KRIPAL PARMAR: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

( ) whether the maximum number of child labourers in the world is in India;

( ) if so, the details of the child labourers less than the age of ten year, between the age of ten to fourteen years and fourteen to eighteen years;

( ) the State-wise details of the children engaged in begging, flesh trade, pick-pocketing, smuggling etc. and the working in the industries which are reckoned as hazardous under the law; and

( ) the estimated number of bonded child labourers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI VIJAY GOEL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) According to the 1991 census data, the number of working children in the country is 11.28 million. As a country, India has the largest child labour population in the world in terms

†Original notice of the question was received in Hindi.

of absolute numbers. But the proportion of working children to the total labour force is lower in India than in many other developing countries. State-wise details are given in the Table (See below).

(a) Details of the number of child labourers between the ages of ten to fourteen are not maintained. As per the Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986, the child means a person who has not completed its fourteen years of age.

(a) Data on children engaged in begging, flesh trade, pickpocketing, smuggling, etc and hazardous industries are not maintained.

(a) The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 does not make any difference between child bondage and adult. The Act also does not make any difference amongst bonded labour on the basis of sex, caste, creed etc. As such, separate data on the number of bonded child labour bonded is not reported by the State Governments.

Table

State-wise distribution of working children according to 1991 census

		1991
1.	Andhra Pradesh	1,661,940
2.	Assam	327,598
3.	Bihar	942,245
4.	Gujarat	523,585
5.	Haryana	109,691
6.	Himachal Pradesh	56,438
7.	Jammu and Kashmir	**
8.	Kamataka	976,247
9'.	Kerala	34,800
10.	Madhya Pradesh	1,352,563
11.	Maharashtra	1,068,418

1	2	3
12.	Manipur	16,493
13.	Meghalaya	34,633
14.	Nagaland	16,476
15.	Orissa	452,394
16.	Punjab	142,868
17.	Rajasthan	774,199
18.	Sikkim	5,598
19.	Tamil Nadu	578,889
20.	Tripura	16,478
21.	Uttar Pradesh	1,410,086
22.	West Bengal	711,691
23.	Andaman and Nikobar Islands	1,265
24.	Arunachal Pradesh	12,395
25.	Chandigarh	1,870
26.	Dadra and Nagar Haveli	4,416
27.	Delhi	27,351
28.	Daman and Diu	941
29.	Goa	4,656
30.	Lakshadweep	34
31.	Mizoram	16,411
32.	Pondicherry	2,680
	Total	11,285,349

** Census could not be conducted. NB: Figures for 1991 relates to workers of age group 5—14 years.

श्री कृपाल परमार :माननीय सभापति जी, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होने "ग" भाग में कहा है कि भिक्षावृत्ति, देह व्यापार, जेब कतरने और तस्करी आदि और खतरनाक उघोगों में लगे बच्चों से संबधित आंकड़ो का ब्यौरा नहीं रखा जाता। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कानून के तहत जो कानून की मूल भावना है वह यह है कि (**व्यवधान**)

श्री सभापतिः आप प्रश्न करिए, सीधा क्वश्चन करिए।

श्री कृपाल परमार : मैं क्वश्चन कर रहा हूं।

श्री सभापति : नहीं, क्वश्चन नहीं हो रहा है। आप क्वश्चन करिए।

श्री कृपाल परमार : बच्चों को खतरनाक उघोगों में जाने से रोका जाए। जब सरकार के पास खतरनाक उघोगो में लगे हुए बच्चों का ब्यौरा नहीं है तो सरकार बच्चों की प्रोटैक्शन (**व्यवधान**)

श्री सभापति : किस प्रकार से करेगी, यह बताइये।

श्री विजय गोयल : सभापति जी, सरकार जितने भी उघोग हैं, उन में बाल-श्रमिकों को हतोत्साहित करने के लिए, बाल श्रमिक उन में काम न करें, इसलिए यह केवल खतरनाक उघोगों की बात नहीं है, सरकार ने इन बच्चों को वहां से बाहर निकालने के लिए नेशनल लेबर प्रोजेक्ट्स चलाए है जिस के तहत हम ने सौ से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स को एडॉप्ट्स किया हैं व पचास को और भी लेने वाले हैं। इस के अलावा दो हजार स्कूल्स खोल रहे हैं। महोदय, हम सभी बाल श्रमिको को इस श्रेणी में गिनते हैं।

SHRIMATI SHABANA AZMI: Sir, child labour is very important.
{Interruptions)

श्री सभापति : आप का क्वैश्चन आगे हैं, मैं उसे लेने की कोशिश कर रहा हूं।....(**व्यवधान**)... अंबिका सोनी का है, क्या उसे आप नहीं लेने देना चाहती? अगर आप की इच्छा हैं कि वह नहीं लिया जाए तो मैं नहीं लूंगा। ...(**व्यवधान**)...

†**मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी** : सर, जैसा कि लोक सभा में हैं कि 419 के बाद 421 है ...(**व्यवधान**)....

مولانا عبیداللہ خان اعظمی: سر، جیسا کہ لوک سبھا میں ہے کہ 419کے بعد 421ہے.....مداخلت.....

श्री सभापति : आप को 420,420 ही क्यों याद आ रहा हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता?

श्रीमती शबाना आज़मी : सर, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, वह बिल्कुल इन-एडीक्वेट था क्योंकि सवाल यह था कि अगर आप डाटा मेंटेन ही नहीं करेंगे तो इतना धोर अन्याय जो बच्चों के साथ हो रहा हैं, उस के लिए आप सही कदम कैसे उठा सकते है? उन्होंने कुछ और जवाब दे दिया। सर, बात यह है कि What is the reason for not maintaining data? You have to have data. Then only you can take Steps. सर, अगर ये डायरेक्टली नहीं तो इतने सारे एन.जी.ओज. जो काम कर

† Transliteration of Urdu Script.

रहे हैं who can give them exact data on the basis of which you can take steps towards eradication.

श्री विजय गोयल : सभापति जी मैं शबाना जी को बताना चाहता हूं कि हमारे पास डाटा हैं। मैंने अपने उत्तर में कहा है कि सिर्फ सरकार अलग से भिक्षावृत्ति, देह व्यापार, तस्करी इत्यादि का अलग-अलग ब्योरा नहीं रखती।

श्रीमती शबाना आजमी :क्यों नहीं रखती? That is the only way that it can reflect reality.

श्री विजय गोयल :हम टोटल बता सकते हैं।

श्रीमती शबाना आज़मी :आप टोटल के नतीजे पर पहुंच ही कैसे सकेंगे अगर आप सेपरेट डाटा मेंटेन नहीं करेंगे?

श्री विजय गोयल :क्योंकि हम सभी बाल-श्रमिकों को वहां से निकलना चाहते हैं, इसलिए मैं यह समझता हूं कि अलग-अलग ब्यौरा रखने की अभी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं हैं। अगर हम उस में सोचेंगे कि जो जेबकतरे रहे हैं, जो सिर्फ देह व्यापार में लिप्त हैं **…(व्यवधान)…**

श्रीमती शबाना आजमी :ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं कह रहा हैं।

I This is not the question that is being discussed. That is completely wrong. Sir, child labour is such an important thing and you are saying that we don't need to keep the data separately. It is entirely unacceptable, Goel saheb. *(Interruptions)*

श्री विजय गोयल :आप मुझे उत्तर तो पूरा करने दीजिए। सभापति जी, 14 वर्ष की आयु से **…(व्यवधान)…**

श्री सभापति :बोलने दीजिए। मैं आप को अलाउ करूंगा। आप तो ऐसे पीछे पड़ गए कि जवाब देने वाला ही हैरान हो जाय। ....(**व्यवधान**).. आप बोलने तो दें। आप बैठिए, बैठिए।

श्री विजय गोयल :सभापति जी, मैंने पहले ही कहा है कि सरकार भिक्षावृत्ति, देह व्यापार,जेब कतरने, तस्करी में लगे बाल श्रमिकों का अलग-अलग ब्योरा नहीं रखती हैं, पहली बात तो यह है। शबाना जी का प्रश्न यह है कि यह ब्यौरा रखा जाना चाहिए। महोदय, मेरा उत्तर सिर्फ यह है कि अभी तक यह इसलिए नहीं रखा जाता हैं क्योंकि कोई भी बाल श्रमिक अगर 14 वर्ष की आयु से नीचे है तो हम चाहते हैं कि उस को वहां से निकालकर स्कूलों में भेजा जाए। इस के लिए नेशनल लेबर प्रोजेक्ट्स ने अपनी योजनाएं चला रखी हैं **…..(व्यवधान)…** आप सुन ही नहीं रही हैं।

श्रीमती शबाना आजामी : बगैर डाटा के ये कार्य कर ही नहीं सकते। अगर सेपरेट डाटा नहीं होंगे ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय गोयल :सभापति जी, ये प्रश्न करने पर उतारू हैं, लेकिन उत्तर सुनने को तैयार नहीं हैं। मेरा कहना यह हैं कि अगर उदाहरण के लिए दो लोग हैं और दोनों जेबकतरे हैं, दोनों देह व्यापार में हैं, दोनो तस्करी के अंदर हैं तो आप के कुल 6 होंगे। हम तो उन 6 के 6 को पहले ही एलीमिनेट करने को तैयार हैं, उन्हें स्कूल में ले जाने को तैयार हैं ...(**व्यवधान**)..

SHRIMATI SHABANA AZMI: Sir, it is not acceptable. मेंटेन करने के लिए आप उन्हें रूलिंग दीजिए ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय गोयल :सभापति महोदय, किसी राज्य में, किन उघोगों में कुल कितने बाल श्रामिक हैं, ये हमारे पास डाटा हैं। वह मैं आप के सामने रख सकता हूं कि आसाम में कितने हैं आध्र प्रदेश में कितने हैं। इसलिए आप हमें यह नहीं कहिए कि हम को मालूम नहीं होगा। ...(**व्यवधान**).. सिर्फ क्लासिफिकेशन वाइज सरकार डाटा नहीं रख सकती हैं ...व्यवधान...

SHRIMATI SHABANA AZMI: It is not acceptable. We must maintain separate data.

श्री सभापति : माननीय राज्य मंत्री जी, ध्यान रखें कि महिलाओं से पाला पड़ता हैं तो क्या हालत होती हैं। ....(**व्यवधान**)...

SHRI ARJUN SINGH: Sir, this is a very important question. Half-an-hour discussion may be allowed on this. *(Interruptions)*

श्री सभापति :वह जो भी आएगा, मैं देख लूंगा।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Exemption from employees Provident Fund Act

*404. SHRI K.B. KRISHNA MURTHY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Karnataka State Co-operative Apex Bank has sought exemption from the Employees Provident Fund Act to cover its employees under the pension scheme; and